

न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बर्डजलास प्रियंका गोस्वामी आर०ए०एस० अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 64/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा

दायरा दिनांक: 1.6.2017

अन्तर्गत धारा: 76 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

✓(1) मदनलाल आत्मज मनफूल जाति लुहार निवासी ग्राम दुर्जनपुरा तहसील किशनगंज जिला बांरा।

...अपीलाट

बनाम

- 1 सत्येन्द्र सिंह उर्फ बबलू आत्मज जसवन्त सिंह जाति सिख निवासी ग्राम बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बांरा।
- 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसील किशनगंज जिला बांरा।

... रेस्पोंडेन्ट

(2) प्रकरण संख्या: 80/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा

उनवान

मदनलाल आत्मज मनफूल जाति लुहार निवासी ग्राम दुर्जनपुरा तहसील किशनगंज जिला बांरा।

...अपीलाट

बनाम

- 1 सत्येन्द्र सिंह उर्फ बबलू आत्मज जसवन्त सिंह जाति सिख निवासी ग्राम बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बांरा।
- 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसील किशनगंज जिला बांरा।

... रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलाट

श्री प्रवीण पनवाड अभिभाषक रेस्पोंड कम-1

निर्णय

दिनांक 1.8.2018

अपीलार्थी मदनलाल ने न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा अपील सं० 8/13 एवं 11/13 बउनवान सत्येन्द्र सिंह बनाम मदनलाल वगेरा में पारित निर्णय 2.5.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

- 1 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित दोनो अपीलों को एक ही निर्णय दिनांक 2.5.2017 से निर्णित किया गया है जिसके विरुद्ध अपीलार्थी मदनलाल द्वारा इस न्यायालय में द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत अपील सं0 8/13 एवं 11/13 प्रस्तुत की गई। उक्त दोनो अपीलों में पक्षकार एवं विषयवस्तु समान होने से इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है।
- 2 संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं, कि सत्येन्द्रसिंह रेस्पो0 क्रम-1 द्वारा तहसीलदार किशनगंज द्वारा प्रकरण संख्या 5/11 में पारित निर्णय निर्णय दिनांक 31.5.2013 एवं उसकी पालना में तस्दीक किया गया इन्तकाल नं0 487 दिनांक 28.6.2013 ग्राम दुर्जनपुरा से प्रसन्न होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील इस आशय की पेश की गई कि पूर्व मृतक खातेदार रामनाथ उसके खाते की भूमि वाके ग्राम दुर्जनपुरा तह0 किशनगंज ख0 नं0 92/2 रकबा 11 बीघा ख0 नं0 127 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा ख0 नं0 116 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल 3 किता रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा का रजिस्टर्ड वसीयत नामा उसके पक्ष में कर उक्त भूमि देकर गया है। परीक्षण न्यायालय ने बिना उसको सुने व जांच पडताल किये एक फर्जी एंव बनावटी, तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 15.5.2008 के आधार पर मदनलाल के पक्ष में दिनांक 31.5.13 को निर्णय पारित कर निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण सं0 487 तस्दीक कर दिया जिसे निरस्त कर भूमि ख0 नं0 94/2 की 1 बीघा, ख0 नं0 127 की 6 बीघा 14 बिस्वा, ख0 नं0 116 की 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम दुर्जनपुरा का इंतकाल मृतक खातेदार रामनाथ द्वारा उसके पक्ष में की गई रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 29.12.05 के आधार पर उसके पक्ष में खोलकर तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सत्येन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील को निर्णय दिनांक 2.5.2017 से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.5.2013 एवं उसके आधार पर खोला गया नामान्तरकरण संख्या 487 दिनांक 28.6.2013 ग्राम दुर्जनपुरा निरस्त कर तहसीलदार किशनगंज को दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर अनरजिस्टर्ड वसीयत की सत्यता के संबंध में विस्तृत जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांत मदनलाल द्वारा द्वितीय अपील धारा 76 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांत को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं कर अवधि बाधित अपील को स्वीकार कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि मृतक रामनाथ अपीलांत के सगे काका जी है जो मृत्यु पूर्व अपीलांत के पास ही रहते थे तथा अपीलांत व उसके परिवार ने ही उनकी सेवा सुश्रषा की है जिससे प्रसन्न होकर उनके द्वारा दिनांक 15.5.08 को अपीलांत के पक्ष में अपनी आराजी की वसीयत आलेखित की है जो उनकी अंतिम वसीयत होने से अपीलांत एक मात्र रामनाथ जी का नैसर्गिक उत्तराधिकारी व वसीयती उत्तराधिकारी है ऐसी स्थिति में जेरअपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। मृतक रामनाथ द्वारा अपने जीवनकाल में ही ख0 नं0 94/2 रकबा 15 बीघा में से 10 बीघा आराजी बलजीत कौर को बेचान करदी जो इन्तकाल नम्बर 381 से उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई शेष 5 बीघा आराजी में से 4 बीघा जिस दिन अपीलांत के पक्ष में वसीयत आलेखित की उसी दिन मंदिर हनुमान जी दुर्जनपुरा को दान कर दी जो मंदिर हनुमान जी के नाम दर्ज हो गई। ख0 नं0 116 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा में से 4 बीघा सजना बाई पत्नी धीरण लौधी को दिनांक 9.1.08 को बेचान कर दी जो इंतकाल नम्बर 380 दिनांक 6.4.08 से सजनाबाई के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई शेष आराजी अपीलांत के पक्ष में वसीयत होने से वसीयत के आधार पर तहसीलदार किशनगंज द्वारा अपीलांत के नाम राजस्व रिकार्ड कर दिया गया तभी से अपीलांत उक्त आराजी का बहैसियत खातेदार काबिज काशत चला आ रहा है। रेस्पो0 का उक्त सम्पत्ति से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार किशनगंज द्वारा अपीलांत व रेस्पो0 को सुनवाई कर दिनांक 31.5.13 को आदेश प्रदान किया किया गया है। आदेश कन्टेस्टेड होने से अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आदेश के विरुद्ध प्रथम दृष्टया सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है उक्त आदेश अन्तर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम की श्रेणी में होने से प्रथम अपील का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है इस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

सत्येन्द्रसिंह
रेस्पो0

न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे एवं अपीलांट के पक्ष में पारित आदेश एवं इंतकाल को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

- 3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।
- 4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि मृतक रामनाथ अपीलांट के काका थे इस कारण अपीलांट द्वितीय कटेगरी का उत्तराधिकारी है। मृतक रामनाथ जी द्वारा अपीलग्रस्त आराजी की दिनांक 15.5.08 को वसीयत की गई। रामनाथ जी का स्वर्गवास दिनांक 2.5.2011 को हुआ। रेस्पो0 के पक्ष में दिनांक 29.12.05 की वसीयत है। परीक्षण न्यायालय द्वारा दोनो वसीयतों की जांच कर दिनांक 31.5.11 को निर्णय पारित किया जिसकी पालना में नामान्तरकरण 487 मेरे पक्ष में तस्दीक किया गया। उक्त आदेश एवं नामा0 के विरुद्ध रेस्पो0 क्रम-1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को रिमांड किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे बताया कि अपीलांट मृतक खातेदार रामनाथ का द्वितीय कटेगरी का वारिस/उत्तराधिकारी है वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी व्यक्ति के स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जाता। रेस्पो0 को रेगूलर वाद पेश कर अधिकार तय कराना चाहिये। रेस्पो0 मेरी जाति का नहीं है प्रभावशाली आसामी है। अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद जेरकार है में स्थगन जारी किया हुआ है तथा सिविल कोर्ट में भी वसीयत के संबंध में रेगूलर दावा हो गया जो जेरकार है ऐसी स्थिति दावे में निर्णय होगा अतः दावे के निर्णय तक अपीलग्रस्त आराजी को विवादित दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।
- 5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम-1 ने बहस में बताया कि मृतक खातेदार रामनाथ मेरे दादा के साथ रहता था। दो वसीयत का विवाद है। दिनांक 15.5.08 की वसीयत नोटरी से प्रमाणित है जो अपीलांट के नाम है दुसरी वसीयत 29.12.05 रजिस्टर्ड वसीयत है जिस पर वसीयत कर्ता के हस्ताक्षर एवं फोटो है जो रेस्पो0 क्रम-1 के पक्ष की है। वसीयत केन्सीलेशन का दावा कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनकर अनरजिस्टर्ड वसीयत की सत्यता के संबंध में जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया है जो न्यायोचित है। अतः अपील खारिज की जावे।
- 6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत अपील प्रकरण में दिनांक 27.6.2008 को प्रार्थना पत्र बावत दस्तावेज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज व सिविल न्यायाधीश किशनगंज में जेरकार वाद की प्रति रिकार्ड पर लेने हेतु पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न उक्त दस्तावेज प्रकरण के निर्णय में सहायक होने से न्यायहित में रिकार्ड पर लिये जाते हैं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है। कि पक्षकारान के मध्य वाद बावत अवैध, अमान्य व शून्य घोषित किये जाने वसीयतनामा दिनांक 15.5.2008 एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 सीपीसी का माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगंज के न्यायालय में एवं प्रार्थना पत्र 212 आरटीए व आदेशिका दिनांक 2.5.11से दि 7.10.11 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज पेश की गई। उक्त दस्तावेजात से प्रकट होता है कि वसीयत केन्सीलेशन का वाद एवं दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 53, 188 आरटीए का क्रमशः न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0 किशनगंज एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगंज के न्यायालय में जेरकार है जिसमें पक्षकारान के स्वत्व का निर्धारण होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 2.5.2017 द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.5.2013 एवं उसके आधार पर खोला गया नामान्तरकरण संख्या 487 दिनांक 28.6.2013 ग्राम दुर्जनपुरा को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर अनरजिस्टर्ड वसीयत की सत्यता के संबंध में विस्तृत जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है जो उक्त विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य में

रजि. सं. १००/२००८
१००८

न्यायोचित होने से जेरअपील निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइश नहीं पाते हैं। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

- 7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त दौनो अपीले अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।
- 8 निर्णय आज दिनांक 1.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति० संभागीय आयुक्त
कोटा